न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), ज

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा. अपील शिवचरण बनाम [illegible]
न. 40/2013

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
25.7.17	पत्रावली पेश हुई बमुलाहजे फरीकैन उपस्थित। अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.9.13 में सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आज्ञा यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति पालनार्थ भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 25-07-17 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 40 / 2013

शंकरलाल पुत्र भंवरलाल, जाति–जाट, निवासी–सुतल्लियों की ढाणी, दूदू रोड़, ग्राम चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर। अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर। रेस्पोडेन्ट्

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, फागी दिनांक 10.09.2013 मिसल सं0 55 / 2013 उनवानी सरकार बनाम शंकरलाल ।)

उपस्थितः–
1. श्री हनुमान सहाय सिहाग, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

दिनांक : 25.07.201

निर्णय

तहसीलदार, फागी ने अपनी आज्ञा दिनांक 10.09.2013 द्वारा शंकरल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–जाट, निवासी–सुतल्लियों की ढाणी, दूदू रोड़, चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर को ग्राम–चकवाडा की आराजी खसरा न 2445 रकबा 12 बीधा में से 01 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन रास्ता भूमि बाड़ा, कुँआ व पुख्ता मकान बनाकर सम्वत् 2070 में अतिक्रमण करने का दोषी जाने से राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घ कर अतिक्रमी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान रा 04, की 50 गुणा राशि रू0 2 / – शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में प हल्का को मांग कायमी, बेदखली हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्र लिए अतिक्रमी शंकरलाल पुत्र भंवरलाल को 90 दिन की सिविल कारावास के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान सहाय सिहाग का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 10.09.2013 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना और बिना नोटिस दिये मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट् का आराजी खसरा नं0 2445 गैर–मुमकीन रास्ता पर कोई अतिचार नहीं है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि जिस आराजी को खसरा नं0 2445 गैर–मुमकीन रास्ता का हिस्सा बताते हुए अतिचार की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है वह आराजी ख0नं0 2408/12 आबादी भूमि अपीलान्ट् की स्वयं की भूमि रही है जो आराजी ख0नं0 2445 के सटवा है । अपीलान्ट का स्वयं की आबादी आराजी पर पुख्ता मकान बना हुआ है, विद्युत कनेक्शन लगा रखा है एवं कुआ निर्माण कर रखा है और परिवार सहित निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान कराया गया था, जिसमें विवादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की आबादी भूमि में निर्माण आदि होना स्वीकार किया गया था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा बिना पूर्व के दस्तावेजात का अवलोकन किये व बिना अपीलान्ट को सूचित किये बदनियति से बिना मौके की सीमाज्ञान कराये मौके से अन्यत्र कागजी खाना–पूर्ति कर अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 2445 पर अतिचार बता दिया गया वास्तविक त्रुटि पटवारी हल्का ने की है और उसकी गहराई से बिना जांच पड़ताल किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो विधि–विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट किये जाने पर अपीलान्ट ने दिनांक 8.8.2013 को तहसीलदार, चाकसू के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र पर ध्यान दिये बिना ही बिना विवेक का उपयोग किये अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आज्ञा पारित कर दी जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना जाहिर कर सिविल कारावास की सजा दी है जबकि इस सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नही है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में कब अतिचार किया, कब्जा किस प्रकार किया एवं किससे अर्थात् मकान, बाड़ा बनाकर अथवा काश्तकर कब्जा किया हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध अतिचार की कार्यवाही कब की और पूर्व में कब अपीलान्ट को बेदखल किया गया।

पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी पर अतिचार किया गया हो और तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये गये हो और अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो समस्त कार्यवाही फौरी तौर पर कागजी कार्यवाही कर सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड अपीलान्ट को तथ्यों व बिना किसी आधार के दिया गया है जो निरस्तनीय है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.09.2013 निरस्त फरमाई जावें ।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्–गैरसायल को विधि–पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया हैं। नोटिस अपीलान्ट के सगे भाई ने प्राप्त किया है। अपीलान्ट् स्वयं जान–बूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है और अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जो यह सिद्ध करते हो कि पूर्व में सीमाज्ञान हुआ हो और उसमें विवादग्रस्त आराजी आबादी भूमि में पाई गई हो। पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमाज्ञान हेतु दिनांक 8.8.2013 को प्रार्थना पत्र दिया गया हो, जो प्रार्थना पत्र दिनांक 8.8.2013 दिया जाना जाहिर किया है वह प्रमाणित प्रति नहीं है न ही ऐसे कोई प्राप्ति रसीद आदि के साक्ष्य है जो यह सिद्ध करते हो कि यह प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में दिया गया हो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा से बचने के लिऐ समस्त कथन कपोल कल्पित है । मौके पर अतिचार था अतिचार की रिपोर्ट करने के लिऐ पटवारी हल्का अधिकृत है और अधिकृत कार्मिक द्वारा पूर्व व पश्चात्वर्ती अतिचार की रिपोर्ट की है । अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही कर नियमानुसार आज्ञा दिनांक 10.9.2013 पारित की गई है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि विवादग्रस्त कब्जा अपीलान्ट की स्वयं की आबादी भूमि में हो। अपीलान्ट् बार–बार अतिचार किये जाने का दोषी हैं। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दि. 02.08.2013 में विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता होना दर्ज है इसके खण्डन में अपीलान्ट् द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जो यह जाहिर करते हो कि अतिक्रमण

किया गया रकबा आराजी खसरा नं0 2445 का नहीं हो और न ही पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य है जो यह जाहिर करते हो कि विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता नहीं हो। अपीलान्ट् का यह कथन मात्र कि पूर्व में सीमाज्ञान हुआ था उसमें विवादग्रस्त कब्जा आराजी खसरा नम्बर 2445 में नही होना पाया गया था और अपीलान्ट की स्वयं की आबादी भूमि में था, साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार्य नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि विवादग्रस्त कब्जा आराजी खसरा नं0 2408/12 में अपीलान्ट की भूमि में हो। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह बखूबी सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2013 के केफियत कॉलम में अतिक्रमी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया हैं परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में किस सम्वत् व किस फसल में कौनसा अतिचार किये जाने के परिणामस्वरूप कौनसा प्रकरण दर्ज किया गया और सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश किस पत्रावली संख्या/उनवान में कब दिये गये और किन आदेशों की पालना में बेदखल किया गया। पूर्व में बेदखल किये जाने के समर्थन में पटवारी हल्का के बयान भी लिये जाना पत्रावली पर जाहिर नहीं होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा 91 का नोटिस अपीलान्ट्–गैरसायल को दिनांक 05.08.2013 को जो जारी किया गया हैं उसमें भी यह अंकित नहीं किया गया हैं कि अपीलान्ट् गैर–सायल द्वारा पूर्व में इसी भूमि पर कौनसे कृषि वर्ष में अतिचार किया गया हैं। अधूरे एवं अस्पष्ट नोटिस के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से पश्चातवर्ती अतिचार सिद्ध न होने से सिविल कारावास जैसी कठोर दण्ड की आज्ञा को न्याय–संगत नहीं पाते हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.09.2013 मे सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती हैं। शेष भाग यथावत् रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

25/7/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर